



प्रेस नोट

दिनांक: 19.08.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 04 घण्टे के भीतर 03 वर्षीय पीड़िता/अपहर्ता को सकुशल किया बरामद।**

अवगत कराना है कि दि० 18.08.24 को वादी नि० थानाक्षेत्र रामपुर मनि० सहारनपुर की 03 वर्षीय पुत्री सो रही थी जो अचानक रात्रि 11.45 बजे सोते हुये गुम हो गयी थी। प्रार्थी द्वारा स्वयं पुत्री का किसी व्यक्ति द्वारा अपहरण करने की आशंका जताते हुये थाना रामपुर मनिहारान पर मु०अ०सं०-307/24 धारा 137(2) BNS पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर सहारनपुर द्वारा तत्काल प्रकरण का संज्ञान लेते हुए पीड़िता/ अपहर्ता को सकुशल बरामद करने हेतु निर्देश दिये गये। निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर निकट पर्यवेक्षण मे क्षेत्राधिकारी नकुड एवं थाना प्रभारी रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 19.08.2024 को थाना रामपुर पुलिस टीम द्वारा बालिका की बरामदगी हेतु 06 पुलिस टीम गठित की गई। 04 टीम द्वारा गांव मे तलाश किया गया व 02 टीम द्वारा जंगल मे तालाश किया गया व डांग स्कॉट व फारेन्सिक टीम को मौके पर बुलाकर मात्र 04 घण्टे मे पीड़िता / अपहर्ता 03 वर्षीय बालिका को गांव से करीब 02 किमी दूर कल्लरपुर गुर्जर रोड के जंगल से सकुशल बरामद किया। बालिका उस स्थान पर कैसे पहुंची इस सम्बन्ध मे गहरायी से जांच की जा रही है।

**बरामद करने वाली पुलिस टीम:-**

1. श्री एन०एस० वैभव पाण्डेय (क्षेत्राधिकारी नकुड )
2. प्र०नि० श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनि० सहारनपुर
3. डांग स्काट प्रभारी मय फोर्स सहारनपुर
4. फोरेन्सिक प्रभारी मय फोर्स सहारनपुर
5. उ०नि० श्री राधेश्याम यादव थाना रामपुर मनि० सहारनपुर
6. उप नि० श्री जसबीर सिंह थाना रामपुर मनि० सहारनपुर
7. उ०नि० श्री राजेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनि० सहारनपुर
8. उ०नि० श्री ओमबीर सिंह थाना रामपुर मनि० सहारनपुर
9. उ०नि० श्री देवेन्द्र कुमार थाना रामपुर मनि० सहारनपुर
10. उ०नि० श्री मुकेश शर्मा थाना रामपुर मनि० सहारनपुर
11. उ०नि० श्री देवेन्द्र कुमार तोमर थाना रामपुर मनि० सहारनपुर
12. उ०नि० आनन्द पाल थाना रामपुर मनि० सहारनपुर
13. उ०नि० श्री सुभाष चन्द थाना रामपुर मनि० सहारनपुर
14. का० 2181 ऋषि कुमार थाना रामपुर मनि० सहारनपुर
15. का० 1887 अंकित थाना रामपुर मनि० सहारनपुर
16. का० 95 विक्रान्त सरोहा थाना रामपुर मनि० सहारनपुर
17. का० 404 मनीष थाना रामपुर मनि० सहारनपुर



प्रेस नोट

दिनांक: 19.08.2024

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना देवबन्द साईबर सैल द्वारा अलग-अलग प्रकरणों में साईबर ठगी में गये 2,38,100/- रूपये पीड़ितों के खाते में कराये गये वापस ।

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में साईबर अपराधों की रोकथाम के अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार थाना देवबन्द के नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस द्वारा आज दिनांक 19/08/2024 को थाना देवबन्द साईबर सैल टीम द्वारा साईबर ठगी के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर पंजीकृत अलग अलग मुकदमों में पीड़ितों के कुल-2,38,100/- रूपये विधिक कार्यवाही के उपरान्त पीड़ितों के खातों में वापस कराये गये। साईबर ठगी में गई धनराशि वापस पाकर पीड़ितों ने पुलिस का आभार प्रकट किया है।

#### वापस कराई गई धनराशि का विवरण:-

1. मु0अ0सं0167/24 धारा 420 भादवि व 66 डी आई0टी0 एकट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के वादी फैसल पुत्र नजमुल हसन निवासी म0नं0670 नजदीक हनुमान मन्दिर मौहल्ला जनकपुरी के 40000/-रूपये (चालीस हजार रूपये) वापस कराये गये।
2. मु0अ0सं0162/24 धारा 420 भादवि व 66 डी आई0टी0 एकट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के वादी मौ0 अनस खान पुत्र मौ0 मुईद खान निवासी मौहल्ला मटकोटा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के 38200/- रूपये वापस कराये गये।
3. मु0अ0सं0161/24 धारा 420 भादवि व 66 डी आई0टी0 एकट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के वादी परमेश्वर गोयल पुत्र चन्द्रभान गोयल निवासी मौहल्ला सन्त कालोनी रेलवे रोड कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के 20000/- रूपये वापस कराये गये।
4. मु0अ0सं0166/24 धारा 420 भादवि व 66 डी आई0टी0 एकट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के वादी गोविन्द गोस्वामी पुत्र संजय कुमार निवासी मौहल्ला कायस्थवाडा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के 14900/- रूपये वापस कराये गये।
5. मु0अ0सं0296/24 धारा 420 भादवि व 66 डी आई0टी0 एकट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के वादी मोईन इस्हाक पुत्र चिराग साबिर निवासी मौहल्ला दीवान कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के 125000/- रूपये वापस कराये गये।

#### साईबर ठगी में गई धनराशि वापस कराने वाली टीम:-

1. प्र0नि0 संजीव कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 अजय कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 आरिफ अली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. रूपेन्द्र सिंह कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5. म0का0 हिमानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



दिनांक: 19.08.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना मिर्जापुर सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 10 ग्राम चरस (अनुमानित कीमत 10 लाख रुपये) एवं 01 मोटर साइकिल बरामद।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध नशीले पदार्थ की बिक्री एवं इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.08.2024 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त असलम पुत्र अली हसन निवासी ग्राम कासमपुर, थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर को कासमपुर जाने वाले खड़जा सड़क के पास से 01 किला 10 ग्राम अवैध चरस एवं 01 मोटर साइकिल स्पलैण्डर प्लस , रंग काला , रजिस्ट्रेशन नम्बर एचआर71बी8474, चैसिस नम्बर एमबीएलएचए10एएमडीएचए03215 व इंजन नम्बर एचए10ईजेडीएचए15254 के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभि0 असलम उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 134/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ करने पर** अभियुक्त असलम उपरोक्त ने बताया कि मैं उत्तराखण्ड राज्य से एक व्यक्ति (जिसका नाम पता नहीं जानता) से चरस लाकर अपने गांव के आस पास के लोगो को बेचकर अच्छी कमाई कर लेता हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

असलम पुत्र अली हसन निवासी ग्राम कासमपुर, थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 10 ग्राम चरस मय मो0सा0 स्पलैण्डर प्लस एचआर71बी8474 बरामद होना

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 नवीन कुमार सैनी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. हेका0 461 धर्म सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. हेका0 958 धीरेन्द्र थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.08.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे में ट्राली चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 ट्राली बरामद।**

अवगत कराना है कि दिनांक 14.08.2024 की रात्री मे ग्राम दाबकी जुनारदार अज्ञात चोरो द्वारा एक ट्राली चोरी कर ली गयी थी जिस सम्बन्ध मे थाना को0देहात जनपद सहारनपुर पर वादी की तहरीर उपलब्ध होने पर दिनांक 18.08.2024 को मु0अ0सं0 339/24 धारा 303(2) पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये। निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.08.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा ग्राम दाबकी जुनारदार से ट्राली चोरी करने वाले 02 अभियुक्तगण **1. विशाल पुत्र रणपत सिंह नि0 ग्राम मिर्जापुर खादर थाना हिमपुर दीपा जिला बिजनौर** एवं **2. दीपांशु पुत्र छोटे सिंह नि0 ग्राम मिर्जापुर खादर थाना हिमपुर दीपा जिला बिजनौर** को जनता रोड स्थित ईट भट्टे के पास से गिरफ्तार करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई 01 ट्राली एवं घटना में प्रयुक्त 01 ट्रैक्टर बरामद किया गया है। अग्रिम कार्यवाही कर अभियुक्तगण को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**विवरण पुछताछ:-** अभियुक्त गण द्वारा पुछने पर बताया कि हमे जनपद सहारनपुर में एक बिजली ठेकेदार के अधीन काम करते हैं। खर्चे के लिये पैसो की जरूरत थी। हमारे पास ठेकेदार द्वारा दिया गया ट्रैक्टर था एवं हमें ग्राम दाबकी जुनारदार मे एक प्लाट मे खडी ट्राली खडी दिखाई दी, आस पास कोई व्यक्ति न होने के कारण हमे ट्रैक्टर की मदद से ट्राली को चोरी कर लिया, जिसे बेचने के लिये हम लोग जा रहे थे कि पुलिस नें हमें पकड लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-**

1. विशाल पुत्र रणपत सिंह नि0 ग्राम मिर्जापुर खादर थाना हीमपुर दीपा जिला बिजनौर
2. दीपांशु पुत्र छोटे सिंह नि0 ग्राम मिर्जापुर खादर थाना हिमपुर दीपा जिला बिजनौर

**बरामदगी का विवरण:-**

चोरी की गयी 01 ट्राली

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1-उ0नि0 श्री गुलाब तिवारी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
- 2-है0का0 917 धर्मवीर सिंह थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
- 3-का0 2098 अमित कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
- 4-का0 2059 रजत पवार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.08.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा कार लूट के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे लूटा गया 01 पर्स एवं 01 अवैध चाकू बरामद।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व में दिनांक 18.08.2024 की रात्री मे थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा बेहट रोड स्थित इण्डियन पेट्रोल पम्प के पास से लूट के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त **हिमांशु पुत्र अजय निवासी याहियापुर थाना ननौता जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किकया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 चाकू व लूटा गया एक पर्स बरामद हुआ। कार लूट की घटना के सम्बन्ध में पूर्व में मु0अ0सं0 236/24 धारा 394/411/120बी भादवि व धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत है, अभियुक्त हिमांशु द्वारा लूटी गयी कार पूर्व में अभियुक्त के अन्य साथियों से बरामद की जा चुकी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ करने पर** अभियुक्त हिमांशु उपरोक्त ने बताया कि मेरे द्वारा अपने अन्य साथियों जो पूर्व में जेल जा चुके हैं के साथ मिलकर ग्राम मढ को जाने वाले रास्ते से कार लूट ली गयी थी, जिसको हम बेचने के लिये देहरादून जा रहे थे, मेरे अन्य साथी पकड़े गये थे, मैं अब तक गिरफ्तारी के बचने के लिये इधर उधर भाग रहा था। लूटा गया पर्स मेरे पास ही थी जो आपने बरामद कर लिया है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

हिमांशु पुत्र अजय निवासी याहियापुर थाना ननौता जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

01 पर्स रंग काला एवं 01 नाजायज चाकू

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 अजयपाल सिंह थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
- 2- है0का0 839 कपिल राणा थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
- 3- है0का0 843 विवेक कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
- 4- का0 1551 अमित कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.08.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा बलबा करने वाले 06 अभियुक्तगण गिरफ्तार ।**

अवगत कराना है कि दिनांक 18.08.2024 को ग्राम सुन्दलहेडी मे हो रहे झगडे की सूचना पर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर की पुलिस टीम पहुची तो ग्राम सुन्दलहेडी मे दो पक्षो मे पथराव व मारपीट हो रही थी, जिसको थाना को0देहात जनपद सहारनपुर की पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर शान्त कराया गया व घटना के सम्बन्ध मे थाना को0देहात जनपद सहारनपुर पर मु0अ0स0 340/24 धारा 191/190/115/352/351(3)/125/221 बीएनएस व 7 सीएलएस एक्ट पंजीकृत कराया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.08.2024 को मे थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा ग्राम सुन्दलहेडी मे पुरानी मुकदमेवाजी को लेकर आपस में एक दुसरे पर गाली गलोज व ईट पत्थरो व लाठी डण्डो से हमलावर व झगडा फसाद पर अमादा तथा एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देने वाले 06 अभियुक्तगण पार्टी प्रथम के 1. आशु पुत्र पालराम 2. कवरसैन पुत्र पालेराम 3. राजू पुत्र हुकमचन्द व पार्टी द्वितीय के 1. मिथुन पुत्र सुरेश 2. बबलू पुत्र यशपाल 3. अनुज कुमार पुत्र केशोराम सर्व निवासी गण ग्राम सुन्दलेहडी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 18.08.2024 को ग्राम सुन्दलहेडी मे हो रहे झगडे की सूचना पर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर की पुलिस टीम पहुची तो ग्राम सुन्दलहेडी मे दो पक्षो मे पथराव व मारपीट हो रही थी, जिसको थाना को0देहात जनपद सहारनपुर की पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर शान्त कराया गया व घटना के सम्बन्ध मे थाना को0देहात जनपद सहारनपुर पर मु0अ0स0 340/24 धारा 191/190/115/352/351(3)/125/221 बीएनएस व 7 सीएलएस एक्ट पंजीकृत कर कडी कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त गण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-**

**पार्टी प्रथम:-**

1. आशु पुत्र पालराम निवासी ग्राम सुन्दलेहडी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
2. कवरसैन पुत्र पालेराम निवासी ग्राम सुन्दलेहडी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
3. राजू पुत्र हुकमचन्द निवासी ग्राम सुन्दलेहडी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

**पार्टी द्वितीय:-**

1. मिथुन पुत्र सुरेश निवासी ग्राम सुन्दलेहडी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
2. बबलू पुत्र यशपाल निवासी ग्राम सुन्दलेहडी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर
3. अनुज कुमार पुत्र केशोराम निवासी ग्राम सुन्दलेहडी थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1.उ0नि0 श्री सजंय शर्मा थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
- 2.उ0नि0 ओमकार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
- 3.है0का0 394 राजकुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
- 4.है0का0 423 अरुण कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
- 5.का0 2255 सोहनवीर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर



दिनांक: 19.08.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वारण्टी की गिरफ्तारी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा वारण्टी सम्बन्धित वाद सं0- 3529/24 धारा 4/25 आर्मस एक्ट मे वांछित वारण्टी अभियुक्त गय्यूर पुत्र मकसूद नि0 ग्रा0 मवीकला थाना सदर बाजार स0पुर व वांछित वारण्टी सम्बन्धित वाद स0-8972/2017 धारा 457/380/411 भादवि0 मे अभियुक्त मेहरबान पुत्र यासीन नि0 रक्खा कलोनी सदर बाजार स0पुर को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

1. गय्यूर पुत्र मकसूद नि0 ग्रा0 मवीकला थाना सदर बाजार स0पुर।
2. मेहरबान पुत्र यासीन नि0 रक्खा कलोनी सदर बाजार स0पुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. का0 2241 अनिल थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. हे0का0 सत्यकुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
4. होगा01315 तेलूराम सदर बाजार सहारनपुर।





-प्रेस नोट-

दिनांक:- 19.08.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना सरसावा पुलिस द्वारा 04 शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,  
कब्जे से चोरी की मोटर बरामद ।**

अवगत कराना है कि दिनांक 19.08.2024 को वादी बबलू उर्फ सन्नी पुत्र रोशनलाल निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण गण 1— नीरज पुत्र जगदीश 2—मनोज पुत्र बाबूराम 3—राहुल पुत्र सुशील निवासी गण ग्राम शहाँजहापुर थाना सरसावा सहारनपुर 4—अजय पुत्र ओम सिंह निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर बिजली की मोटर चोरी करने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 - 233/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए 04 शातिर चोर अभियुक्तगण:-  
1— नीरज पुत्र जगदीश 2—मनोज पुत्र बाबूराम 3—राहुल पुत्र सुशील निवासीगण ग्राम शहाँजहापुर थाना सरसावा सहारनपुर एवं 4—अजय पुत्र ओम सिंह निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ग्राम बहलोलपुर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से चोरी गयी मोटर आधा हार्स पावर व बिजली के मोटर का कवर मय रूटरी खुला बरामद हुये। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी.एन.एस की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त गण द्वारा सामूहिक रूप से बताया कि हम लोग नशा करने के आदी हैं, इसीलिये चोरी करते हैं । दिनांक 18.08.2024 को हमने जो मोटर व मोटर का सामान चोरी किये थे उनमे से एक बिजली का मोटर हम चारो ने कस्बा सरसावा मे भूरा कबाडी पुत्र जहीर निवासी कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को मखदूम शाह के पास दुकान पर बेच दिया था ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

- 1— नीरज पुत्र जगदीश
- 2—मनोज पुत्र बाबूराम
- 3—राहुल पुत्र सुशील निवासी गण ग्राम शहाँजहापुर थाना सरसावा सहारनपुर
- 4—अजय पुत्र ओम सिंह निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ग्राम बहलोलपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

मोटर आधा हार्स पावर व बिजली के मोटर का कवर मय रूटरी खुला

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 97 अनुराग सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
- 3.का0 2423 मनमोहन सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर